न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या–56 / 2014 तारीख रजु–07.08.2014

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन सिटी, जिला करौली, राज. – प्रार्थी

बनाम

मुकेश पाठक, उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नं. 34, हिण्डौनसिटी, जिला करौली, – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 2100 लीटर केरोसीन तेल मय वारदाना लोहे $9^{1}/_{2}$ ड्रम राजसात् करने बाबत्।

निर्णय

दिनांक–19.09.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन जिला करौली ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 05.08.2014 को दूरभाष पर उपजिला कलक्टर महोदय हिण्डौन के आदेश की पालना में वृत्ताधिकारी हिण्डौन श्रीमान् अर्जुनसिंह एवं थानाधिकारी कोतवाली हिण्डौन, श्री कैलाश जिन्दल द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना पर मैं प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन एवं रसद लिपिक हिण्डौन चुंगी नं. 5, बयाना रोड, जाटव बस्ती में अवैध रूप से केरोसीन रखे होने की जांच हेतु मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पाया कि मौके पर पहले से ही वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी हिण्डौन सिटी, भंवरसिंह कर्दम पुलिस जाप्ता एवं उचित मूल्य दुकानदार श्री मुकेश पाठक वार्ड नं. 34 के साथ अन्य स्थानीय व्यक्ति उपस्थित मिले। मौके पर घनश्याम शर्मा पुत्र श्री भगवान प्रसाद, जाटव बस्ती रोड के मकान परिसर में खाली जगह में बने पाटोर पोश के सामने लोहे के ड्रम रखे पाये गये, जिनका भौतिक सत्यापन पुलिस थाना अधिकारियों, उचित मूल्य दुकानदार एवं अन्य की उपस्थिति में किया गया। परिसर में 22 खाली ड्रम एवं 9 ड्रम पूरे केरोसीन (नीला रंग) से भरे एवं एक ड्रम आधा भरा हुआ गैज से मापने पर कुल 2100 लीटर केरोसीन होना पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार श्री मुकेश पाठक ने बताया कि यह केरोसीन उसका है जो छात्रों के लिए केरोसीन का वितरण करने हेतु माह मई, जून एवं जुलाई 2014 के पेटे उतरा है जिसका स्टॉक रजिस्टर एवं बिल प्रस्तुत किये गये। स्टॉक रजिस्टर में एक लीटर अप्रेल 14 का शेष, 23.05.2014 में 1000 लीटर केरोसीन तेल मैसर्स–दीवान जैन एण्ड सन्स, दिनांक 24.06.2014 में 1000 लीटर केरोसीन तेल मैसर्स–खिलाड़ीलाल एण्ड ब्रादर्स एवं दिनांक 25.07.2014 में 500 लीटर केरोसीन तेल नवलसिंह एण्ड सन्स द्वारा कुल 2501 लीटर केरोसीन का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में पाया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा जो बिल प्रस्तुत किये गये उनका विवरण इस प्रकार है–1. बिल क्रमांक 130 दिनांक 17.05.2014 मैसर्स–विश्वनाथ एण्ड कम्पनी द्वारा 1000 लीटर

जिला कलेक्टर
करौली

(12)

केरोसीन 2. बिल संख्या 2702 दिनांक 23.06.2014 मैसर्स–खिलाड़ी एण्ड ब्रादर्स द्वारा 1000 लीटर केरोसीन 3. बिल संख्या 836 दिनांक 25.07.2014 मैसर्स–नवलसिंह एण्ड सन्स द्वारा 1000 लीटर केरोसीन एवं 4. बिल संख्या 837 दिनांक 25.07.2014 द्वारा मैसर्स–नवलसिंह एण्ड सन्स द्वारा 500 लीटर तेल वार्ड नं. 34 हेतु। उचित मूल्य दुकानदार ने बताया कि केरोसीन की गाड़ी उचित मूल्य दुकान पर नहीं पहुंचती है इसलिए केरोसीन यहीं उतरवाता हूं और यहां से ठेलों से अपनी उचित मूल्य दुकान पर ले जाता हूं। उचित मूल्य दुकानदार से दुकान का नक्शा एवं प्राधिकार पत्र मांगा गया तो प्रस्तुत नहीं किया गया, उसने बताया कि माह फरवरी 2014 में दुकान में चोरी हो गई जिसमें सभी दस्तावेज चोरी चले गये जिसका थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मौके पर गोदाम का नक्शा एवं प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रथम दृष्टतया 2100 लीटर केरोसीन के अवैध/अघोषित स्थल पर भण्डारण करने, गबन/कालाबाजारी के आशंका के मध्येनजर तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,10,11 एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन दुकानदार द्वारा किये जाने के कारण 2100 लीटर केरोसीन तेल मय वारदाना (लोहे के $9^1/_2$ ड्रम) जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर ही हिण्डौन सिटी के वार्ड नं. 24 के उचित मूल्य दुकानदार श्री अब्दुल कदीर खां की सुपुर्दगी में दिया जाकर, सुपुर्दगीनामा लिखवाया गया तथा निर्देशित किया कि जब्तशुदा सामग्री को सम्भाल कर रखे तथा जहां भी सरकार/न्यायालय मांगे, प्रस्तुत करें। अंत में 2100 लीटर केरोसीन को मय वारदाना (लोहे के $9^1/_2$ ड्रम) राजसात करने एवं केरोसीन तेल को ज्वलनशील एवं वाष्पित होने वाली वस्तुएं तथा आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आने के कारण अंतिम निस्तारण हेतु राशन कार्डों पर नियमानुसार वितरण कराने हेतु आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी नगर परिषद हिण्डौन में वार्ड नं. 34 में उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्यरत था। दिनांक 05.08. 2014 को प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन द्वारा जब्त किये गये 2100 लीटर केरोसीन प्रार्थी द्वारा वार्ड नं. 34 में भी बयाना रोड स्थित चुंगी नाका 5 पर दुकान में रखा हुआ था। प्राथी का 2100 लीटर केरोसीन छात्रों के वितरण करने हेतु था। प्रार्थी को थोक विक्रेता मै. विश्वनाथ एण्ड कम्पनी हिण्डौन के बिल नं. 130 दिनांक 27.05.2014 द्वारा 1000 लीटर माह 5/14 हेतु, मै० खिलाड़ी एण्ड ब्रादर्स के बिल नं. 2702 दिनांक 23.06.2014 द्वारा 1000 लीटर का माह 6/14 एवं मै. नवलसिंह एण्ड सन्स केरोसीन थोक विक्रेता बिल नं. 836 दिनांक 25. 07.2014 द्वारा 1000 लीटर माह 7/14 कुल माह 5/14 से 7/14 का छात्रों हेतु 3000 लीटर केरोसीन प्राप्त हुआ जिसमें से माह 7/2014 में सत्यम् पब्लिक माध्यमिक विद्यालय शीतला चौराहा हिण्डौन एवं पवन आदर्श माध्यमिक विद्या मंदिर बयाना रोड़ चुंगी नाका 5

जिला कलेक्टर
करौली

13

के पास, हिण्डौन के छात्रा/छात्राओं को 900 लीटर केरोसीन वितरण किया गया जिसका प्रमाण वितरण रजिस्टर व विद्यालयों के प्रमाण पत्र संलग्न हैं। वितरण के बाद प्रार्थी के पास 2100 लीटर केरोसीन शेष बचा, जो स्टॉक रजिस्टर से प्रमाणित है। प्रार्थी के दुकान का नक्शा एवं प्राधिकार पत्र फरवरी 2014 में दुकान से चोरी चला गया था जिसका मुकदमा भी दर्ज कराया गया है जिसके कारण प्रार्थी निरीक्षणकर्ता को उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। निरीक्षक कर्ता द्वारा प्रार्थी पर कालाबाजारी के आशंका का आरोप प्रार्थी द्वारा माह 7/14 में छात्र/छात्राओं को वितरण किये गये केरोसीन एवं विद्यालय के प्रमाण पत्रों से प्रमाणित नहीं होता है। अंत में प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया है।

बहस प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक का कथन है कि उचित मूल्य दुकानदार महेश पाठक अप्रार्थी द्वारा अवैध 2100 लीटर केरोसीन का अवैध भण्डारण कर कालाबाजारी की है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने से 2100 लीटर जब्त शुदा केरोसीन मय वारदाना 9 ड्रमों को राजसात् किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि जब्तशुदा केरोसीन 2100 लीटर मय 9 ड्रम अप्रार्थी को छात्र/छात्राओं के वितरण को प्राप्त हुआ था। प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन व थानाधिकारी हिण्डौन ने आपस में साज कर गलत रूप से अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6(ए) वस्तु अधिनियम में जब्तशुदा केरोसीन 2100 लीटर छात्र/छात्राओं के लिए वितरण हेतु होने से कालाबाजारी का होना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए उक्त जब्तशुदा केरोसीन को राजसात् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम को जिला रसद अधिकारी, करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि 2100 लीटर केरोसीन तेल छात्र/छात्राओं के वितरण हेतु था या नहीं? इस बात की पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली